

मई 2023

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

- **गृह मामले**
 - दिल्ली NCT सरकार अधिनियम में संशोधन
- **वित्त**
 - 2,000 रुपए के नोटों का चलन
- **शहरी विकास**
 - चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी
- **इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी**
 - PLI योजना
- **संचार**
 - दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में कारोबारी सुगमता पर सुझाव
- **ऊर्जा**
 - राष्ट्रीय वदियुत योजना
 - हरति ऊर्जा मुक्त पहुँच नयिमों में संशोधन
- **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**
 - नैदानिक परीक्षण नयिम, 2019
 - सगिरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नयिम, 2004
- **नागरिक उड्डयन**
 - उड्डान 5.1
- **कृषि**
 - उर्वरक सब्सिडी में संशोधन
- **खाद्य और सार्वजनिक वितरण**
 - अंतर-मंत्रालयी समिति
- **वदिशी मामले**
 - क्वाड स्वास्थ्य सुरक्षा साझेदारी

गृह मामले

दिल्ली NCT सरकार अधिनियम में संशोधन

हाल ही में दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर [सर्वोच्च नयायालय](#) के फैसले के बाद [राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार \(संशोधन\) अध्यादेश, 2023](#) जारी किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के लिये रूपरेखा प्रदान करता है। इसकी मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- सेवाओं पर कानून बनाने की शक्तियाँ: संविधान के अनुच्छेद 239AA के अनुसार, दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्तियाँ हैं।
 - संसद दिल्ली के संबंध में राज्य सूची के तहत आने वाले विषयों पर भी कानून बना सकती है और राज्य के कानूनों के प्रतिकूल होने की स्थिति में ये कानून मान्य होंगे।
 - अध्यादेश नरिदषिट करता है कि दिल्ली विधानसभा के पास 'सेवाओं' के विषय में कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी, जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सेवाओं में दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की नयिकृता और तबादले तथा सतर्कता से संबंधित मामले शामिल हैं।

- राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण: अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना करता है जो कि दिल्ली के [उपराज्यपाल](#) (LG) को नमिनलखिति के संबंध में सुझाव देगा:
 - तबादले और तैनाती।
 - वजिलिंस से संबंधित मामले।
 - अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ।
 - अखलि भारतीय सेवाओं (भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर) और दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, दमन तथा दीव, दादरा एवं नगर हवेली (लोक) सेवाओं के समूह A की अभियोजन स्वीकृति।
- प्राधिकरण में नमिनलखिति शामिल होंगे:
 - अध्यक्ष के रूप में दिल्ली का मुख्यमंत्री
 - सदस्य सचिव के रूप में दिल्ली सरकार का प्रधान गृह सचिव
 - सदस्य के रूप में दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव।
- केंद्र सरकार प्रधान सचिव और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति करेगी। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था तथा भूमि जैसे विषयों के संबंध में सेवारत अधिकारी प्राधिकरण के दायरे में नहीं आएंगे।
- प्राधिकरण के सभी नरिणय उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिये जाएंगे। एक बैठक के लिये कोरम दो व्यक्तियों का होता है।
- उपराज्यपाल की शक्तियाँ: अधिनियम के तहत ऐसे मामले जहाँ उपराज्यपाल अपने वविक से कार्य कर सकते हैं: वे नमिनलखिति हैं:
 - दिल्ली वधानसभा की वधिया कषमता से बाहर के मामले, लेकिन जिन्हें LG को सौंपा गया है।
 - ऐसे मामले जहाँ उनसे कानून द्वारा अपने वविक से कार्य करना या कोई न्यायिक या अरद्ध-न्यायिक कार्य करना अपेक्षित है।
 - अध्यादेश नरिदषिट करता है कि इन मामलों में उपराज्यपाल अपने वविक से कार्य करेगा। यह LG की वविकाधीन भूमिका का वसितार करता है और उसे प्राधिकरण की सफारशों को मंजूरी देने या उन्हें पुनर्वचिार के लिये वापस करने की शक्ति देता है।
 - उनके और प्राधिकरण के बीच मतभेद की स्थिति में LG का नरिणय अंतिम होगा।

ववित्त

2,000 रुपए के नोटों का चलन

- [भारतीय रजिर्व बैंक](#) (Reserve Bank of India- RBI) ने 2,000 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को चलन से वापस ले लिया है। इसके बावजूद ऐसे बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
- नोटबंदी के बाद 500 रुपए और 1,000 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोट वापस ले लिये गए थे और करेंसी की कमी दूर करने के लिये नवंबर 2016 में 2,000 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोट पेश किये गए थे।
- RBI ने कहा है कि 2,000 रुपए के बैंक नोट को पेश करने का उद्देश्य तब पूरा हुआ जब अन्य मूल्यवर्ग की करेंसी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गई।
 - यह भी देखा गया कि इस मूल्यवर्ग के बैंक नोट का इस्तेमाल आमतौर पर लेन-देन के लिये नहीं किया जाता है।
- लग 30 सतिंबर, 2023 तक किसी भी बैंक शाखा में अपने बैंक खातों में ऐसे नोट जमा कर सकते हैं या उन्हें अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदल सकते हैं।
- एक बार में 2,000 रुपए के नोटों की 20,000 रुपए तक की राशि को बदला जा सकता है।

शहरी वविकास

चकरीय अरथव्यवस्था को बढावा देने की योजना को मंजूरी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार वर्ष (2023-2027) की अवधि हेतु ['सति इन्वेस्टमेंट्स टू इन्वेट, इंटीगरेट एंड सस्टेन 2.0'](#) (CITIIS 2.0) को मंजूरी दी है।
 - इस कार्यक्रम की परकिल्पना आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने नमिनलखिति के साथ साझेदारी में की है:
 - फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (AFD)
 - जर्मन बैंक क्रेडिटिन्स्टाल्ट फर वडिराउफबाउ (KfW)
 - यूरोपीय संघ (EU)
 - शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान
- CITIIS 2.0 को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था और यह 12 चुनिंदा शहरों में [स्मार्ट सतिज्ज मशिन](#) का एक उप-घटक है।
- इसमें शहरों में बुनियादी ढाँचे से संबंधित परियोजनाओं के नरिमाण, राज्यों के साथ कषमता नरिमाण और राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शहरी प्रबंधन को बढावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- CITIIS 2.0 के मुख्य उद्देश्यों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - 18 स्मार्ट शहरों (चुनिंदा) को उन परियोजनाओं के लिये ववित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी जो जलवायु के अनुकूल बनने और अपशषिट प्रबंधन पर केंद्रित चकरीय अरथव्यवस्था से संबंधित हैं,
 - राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता करना (मांग आधारित) ताकि वे जलवायु से संबंधित आँकड़ों पर आधारित योजना बना सकें, उसके लिये आवश्यक अवसंरचना तैयार करना और शहरी स्थानीय नकियाओं की कषमता का नरिमाण करना।
 - शहरी भारत में [जलवायु परविरतन](#) प्रशासन को एकीकृत करने के लिये केंद्र, राज्य और शहर की सहायता करना।
- CITIIS 2.0 का उद्देश्य नेशनल मशिन ऑन सस्टेनेबल हैबिटिट, अटल मशिन फॉर रजिुवेनेशन एंड अरबन ट्रांसफॉरमेशन 2.0 (AMRUT), [सवचछ भारत मशिन](#) 2.0 और स्मार्ट सतिज्ज मशिन के माध्यम से भारत की जलवायु परविरतन प्रतबिद्धताओं को पूरा करना है।

PLI योजना

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IT हार्डवेयर के लिये [उत्पादन-लकिड प्रोत्साहन \(PLI\) योजना](#) 2.0 को छह वर्ष की अवधि हेतु मंजूरी दी है।
- PLI योजना घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर चयनित कंपनियों को कुछ लाभ प्रदान करती है।
- इस योजना में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डेवाइस का निर्माण शामिल होगा।

संचार

दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में कारोबारी सुगमता पर सुझाव

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने 'दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में कारोबारी सुगमता पर सुझाव' जारी किया है। इसके मुख्य सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- मंजूरी और अनुमोदन:** [भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण \(ट्राई\)](#) ने कहा कि अनुमति प्राप्त करने और भुगतान की वर्तमान प्रक्रिया जटिल एवं समय लेने वाली है।
 - संबंधित मंत्रालयों को सभी मंजूरीयों और अनुमोदनों के लिये सगिल वडिो ससि्टम बनाना चाहिये।
 - प्रत्येक मंत्रालय को संबंधित दशा-नरिदेशों या नीतियों में सभी प्रक्रियाओं के लिये चरण-वार समय-सीमा नरिदषि्ट करनी चाहिये। इसके अलावा प्रत्येक मंत्रालय को इस संबंध में प्रक्रियाओं की समीक्षा, सरलीकरण और अपडेशन के लिये स्थायी कारोबारी सुगमता समतिका गठन करना चाहिये।
- अवसंरचना और अनवार्य सेवा का दर्जा:** प्रसारण एवं केबल सेवा क्षेत्र को 'अवसंरचना का दर्जा' प्रदान किया जाना चाहिये। इससे उद्योग के लिये गैर-बैंकगि वतित कंपनियों, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड और भारतीय अवसंरचना वतित कंपनी लमिडिड से पुंजी जुटाना आसान होगा।
- दूरसंचार उत्पादों का परीक्षण:** दूरसंचार उत्पादों के परीक्षण में दोहराव से बचने के लिये दूरसंचार वभिग को एक स्थायी समतिका गठन करना चाहिये। समति में इलेक्ट्रॉनिकि एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार वभिग (DoT) और भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतनिधि शामिल होने चाहिये।
- राइट ऑफ वे:** DoT ने राइट ऑफ वे से संबंधित मंजूरीयों की प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु गतशिकृति पोर्टल वकिसति किया है। हालाँकि स्थानीय केबल ऑपरेटर्स (LCO) के लिये पोर्टल से ऐसी मंजूरी लेने का कोई प्रावधान नहीं है।
 - पोर्टल में LCO सहति सभी सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाना चाहिये।
- वेबसाइट ब्लॉकगि:** ट्राई ने कहा कि वभिनिन तरीको/पोर्टल्स के जरयि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उन वेबसाइट्स की सूची भेजी गई है, जिन्हें ब्लॉक किया जाना है। उसने सुझाव दिया कि वेबसाइट ब्लॉकगि के लिये सगिल वडिो पोर्टल बनाया जाए। इस पोर्टल के माध्यम इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ब्लॉक की गई वेबसाइटों की सूची भेजी जानी चाहिये।

ऊर्जा

राष्ट्रीय वदियुत योजना

केंद्रीय वदियुत प्राधिकरण (CEA) ने 2022-32 के लिये राष्ट्रीय वदियुत योजना (NEP) (खंड-1 उत्पादन) को अधसूचित किया है। CEA को [वदियुत अधनियम, 2003](#) के तहत पाँच वर्ष में एक बार [राष्ट्रीय वदियुत योजना](#) तैयार करनी होती है। योजना पछिले पाँच वर्षों (2017-22) की समीक्षा, 2022-27 के लिये क्षमता वृद्धा की आवश्यकताओं और वर्ष 2027-2032 की अवधि हेतु अनुमानों का प्रावधान करती है।

हरति ऊर्जा मुक्त पहुँच नयिमों में संशोधन

- वदियुत मंत्रालय ने वदियुत (हरति ऊर्जा मुक्त पहुँच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) (दूसरा संशोधन) नयिम, 2023 अधसूचित किया है।
 - नयिम नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, जल और अपशषि्ट से ऊर्जा सहति स्रोतों से) तक मुक्त पहुँच के लिये एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।
- मुक्त पहुँच का अर्थ है कि उपभोक्ता को अपनी पसंद की वतिरण कंपनी से बजिली खरीदने की अनुमति दी जाए।
- नयिमों के तहत हरति ऊर्जा (नवीकरणीय स्रोत) तक पहुँच वाले उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की टैरफि नीतिके अनुसार क्रॉस-सब्सिडी अधभार का भुगतान करना होगा।
 - क्रॉस सब्सिडी एक टैरफि संरचना को संदर्भति करती है जहाँ उपभोक्ताओं का एक समूह उपभोक्ताओं के दूसरे समूह को आपूर्ति की लागत को कवर करने के लिये अपेक्षाकृत अधिक शुल्क का भुगतान करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

नैदानिकि परीक्षण नयिम, 2019

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 में मसौदा संशोधन जारी किये हैं।
 - इन संशोधनों को औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत तैयार किया गया है।
- वर्ष 2019 के नियम नैदानिक परीक्षण की प्रक्रिया को नरिदष्टि करते हैं।
 - नैदानिक परीक्षण नई दवाओं के प्रभाव तथा सुरक्षा का अध्ययन या संभावित नई दवाओं पर शोध होते हैं।
- वर्ष 2019 के नियम प्रक्रियात्मक विवरणों को नरिदष्टि करते हैं जैसे कि प्रतभागियों की सूचि सहमति प्राप्त करना और एक आचार समिति द्वारा परीक्षणों की निगरानी करना।
- मसौदा संशोधन नैदानिक अनुसंधान संगठनों को ऐसे निकाय के रूप में परिभाषित करता है जो एक प्रायोजक की ओर से नैदानिक परीक्षण के कुछ या सभी हिस्सों का संचालन करता है, जो परीक्षण शुरू करने और प्रबंधित करने वाली इकाई है।
- अन्य नए प्रावधान नैदानिक परीक्षण करने के लिये नैदानिक अनुसंधान संगठनों हेतु प्रक्रियाओं को नरिदष्टि करते हैं। उदाहरण के लिये उन्हें औषधि नियंत्रक, भारत के साथ पंजीकरण करना होगा और यह पंजीकरण पाँच वर्ष के लिये वैध होगा।
- नैदानिक अनुसंधान संगठन परीक्षणों के अधीन होंगे और उन्हें परीक्षणों के संचालन से संबंधित रिकॉर्ड और डेटा को रखना होगा। अगर नैदानिक अनुसंधान संगठन अधिनियम या नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

सगिरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियम, 2004

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सगिरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (वजिजापन का निषेध एवं व्यापार तथा वाणज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) नियम, 2004 में संशोधन को अधिसूचि किया।
 - 2004 के नियम तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वजिजापन पर प्रतिबंध लगाते हैं। उदाहरण के लिये वे निषेध करते हैं:
 - तंबाकू उत्पादों का वजिजापन।
 - किसी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में या किसी नाबालग को तंबाकू उत्पादों की बिक्री।
- वर्ष 2023 के संशोधनों में अपेक्षित है कि तंबाकू वरिधी वजिजापनों को ऑनलाइन क्यूरेट कंटेंट के साथ प्रदर्शित किया जाए जिसमें तंबाकू उत्पादों का उपयोग दिखाया गया हो।
 - ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट किसी भी क्यूरेटेड ऑडियो-वजिजल कंटेंट को कहा जाता है जो कंप्यूटर रसोर्स, जैसे OTT सामग्री के माध्यम से मांग पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- किसी भी कार्यक्रम के आरंभ और मध्य में कम-से-कम 30 सेकंड की अवधि के तंबाकू वरिधी वजिजापन अवश्य प्रदर्शित किये जाने चाहिये।
 - ऑनलाइन सामग्री की शुरुआत और बीच में तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के ऑडियो-वजिजल अस्वीकरण भी प्रदर्शित किये जाने चाहिये।

नागरिक उड्डयन

उड्डान 5.1

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS) - [उडे देश का आम नागरिक \(UDAN\)](#) का राउंड 5.1 लॉन्च किया।
- यह योजना देश के दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने और हेलीकॉप्टरों के माध्यम से लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रयास करती है।
- यह योजना क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को कफियाती बनाकर सुविधाजनक बनाना चाहती है।
- उड्डान 5.1 की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - प्राथमिकता क्षेत्र स्थान वाले स्रोत या गंतव्य वाले मार्गों की अनुमति देकर परिचालन दायरे का विस्तार।
 - हेलीकॉप्टर हवाई करिया सीमा में 25% की कमी।
 - सगिल और ट्वनि-इंजन हेलीकॉप्टरों के लिये व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण सीमा में वृद्धि।
- मंत्रालय के अनुसार, हेलीकॉप्टर के अधिक उपयोग से पर्यटन, आतथिय और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- मई 2023 तक योजना के पछिले दौर के तहत 46 हेलीकॉप्टर मार्गों का संचालन किया जा चुका है।

कृषि

उर्वरक सब्सिडी में संशोधन

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी 2022-23 के लिये पोषक तत्त्व आधारित उर्वरक सब्सिडी दरों में संशोधन को मंजूरी दी और खरीफ 2023 के लिये सब्सिडी दरों को नरिधारित कर दिया है।
- [पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी योजना](#) के तहत संशोधित दरें रबी फसलों के लिये 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 के बीच और खरीफ फसलों हेतु 1 अप्रैल, 2023 से 30 सितंबर, 2023 के बीच प्रभावी होंगी। खरीफ 2023 के लिये 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण

अंतर-मंत्रालयी समिति

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना बनाने के लिये एक अंतर-मंत्रालयी समिति के गठन को मंजूरी दी है।

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत आठ योजनाओं को इस उद्देश्य के लिये एकीकृत किया जाएगा।
- समिति प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Primary Agriculture Credit Societies- PACS) के स्तर पर गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की सुविधा प्रदान करके कृषि भंडारण अवसंरचना की कमी को दूर करेगी।
- समिति को चयनित व्यवहार्य PACS में बुनियादी ढाँचा तैयार करने के लिये ऐसी योजनाओं हेतु दशा-नरिदेशों/कार्यान्वयन पद्धतियों को संशोधित (अनुमोदित परवियय के भीतर) करने का अधिकार होगा।
 - PACS भारतीय खाद्य निगम (FCI) या राज्य एजेंसियों के लिये खरीद केंद्रों और उचित मूल्य की दुकानों के रूप में कार्य करेंगे।
- स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता से खाद्यान्न की बर्बादी कम होने की उम्मीद है।
- इसके अलावा किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने से फसलों की संकटपूर्ण बिक्री को रोकने और परिवहन लागत के कम होने की उम्मीद है।
 - मंत्रमिंडल की मंजूरी के 45 दिनों के भीतर प्रस्ताव का कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा।

वदिशी मामले

क्वाड स्वास्थ्य सुरक्षा साझेदारी

- वर्ष 2023 क्वाड लीडर्स समिति ने क्वाड स्वास्थ्य सुरक्षा साझेदारी (Quad Health Security Partnership) की शुरुआत करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है।
- क्वाड एक खुले, स्थिर और समृद्ध भारत-प्रशांत का समर्थन करने के लिये प्रतबिद्ध चार देशों का कूटनीतिक नेटवर्क है।
- इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड लीडर्स समिति में सरकारों के प्रमुख शामिल होते हैं। नई साझेदारी क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप का विस्तार है, जैसा वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था।
- भारत-प्रशांत क्षेत्र में टीकों तक समान पहुँच बढ़ाने के लिये वैक्सीन साझेदारी की योजना बनाई गई है। नई साझेदारी भारत-प्रशांत में स्वास्थ्य सुरक्षा के समर्थन में समन्वय एवं सहयोग को मज़बूत करेगी।
- साझेदारी में गतिविधियों को कार्यान्वयित करने की योजना बनाई जाएगी ताकि क्षेत्र में महामारियों के प्रकोप का पता लगाने और इस संबंध में पहल करने की क्षमता का निर्माण हो। इन गतिविधियों में नमिन्लखित शामिल हैं:
 - रोग निगरानी।
 - प्रकोप संबंधी प्रतिक्रियाओं का समन्वय।
 - स्वास्थ्य क्षेत्र में शर्मबल का विकास और उसे सहयोग देना।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prs-may-2023>

